उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-78/2020/1225/92-2-2020-100एम/2019,

लखनऊ :: दिनांक:: 30 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-पीलीभीत में अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल (31.05.2017 से 26.05.2018 तक) के दौरान जनपद-पीलीभीत मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मे चयनित पैकेज संख्या यू0पी0-5685 के टी05 पीलीभीत अमारिया एस0टी0जे0 रोड कि0मी0 32 से मुदलिया गासू वाया फुलैया मार्ग जिसका अनुबन्ध गठन दिनांक 16.10.2017 तथा कार्य पूर्ण कराये जाने की निर्धारित तिथि 22.10.2018 थी किन्तु कार्य पूर्ण कराये जाने की वास्तविक तिथि 28.06.2019 है। पैकेज संख्या यू0पी0-5685 के अन्तर्गत गठित अनुबंध दिनांक 16.10.2017 के उपरान्त निर्मित मार्ग का निर्माण कार्य समय से पूर्ण न कराये जाने हेतु की गयी लापरवाही/उदासीनता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- संख्या-16/2020/147/92-2-2020-100एम/2019, दिनांक 15.01.2020 द्वारा श्री रविकान्त वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-पीलीभीत को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल आजमगढ़ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-पीलीभीत को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित नामित किया गया। जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 19.05.2020 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोतिप आरोप संख्या-1 को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संगत अभिलेखों के सापेक्ष जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या की विवेचना में आरोप संख्या-1 को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

2- अपचारी अधिकारी श्री रविकान्त वर्मा के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1 को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना में अपचारी अधिकारी श्री रविकान्त वर्मा के बचाव उत्तर के सापेक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया है। अत: जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2020/147/92-2-2020-100एम/2019, दिनांक 15.01.2020 द्वारा श्री रविकान्त वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-पीलीभीत के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-78/2020/1225(1)/92-2-2020तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल आजमगढ़।

3- श्री रविकान्त वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-पीलीभीत सम्प्रति प्रखण्ड सम्भल द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभि0 वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।